रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 2019/आश्विन 23, 1941
No. 610] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2019/ASVINA 23, 1941

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 784(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन नियत कर्मकार इकाई में निदेशक, प्रशिक्षण के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), निदेशक, प्रशिक्षण, समूह 'क' भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदिः-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
निदेशक, प्रशिक्षण	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर –13	चयन।	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियोंकी दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
7.	**8.**	**9.**	**10.**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा – जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11.	**12.**	**13.**
प्रोन्नति- स्तर 12 में ऐसे संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशासन या वित्त या प्रबंधकीय कौशल या योजना और नीति निर्माण के क्षेत्र में चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष; 2. सचिव या अपर सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य;	प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत (अल्पकालिक संविदा भी है):- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्व विद्यालय या वैधानिक या स्वशासी संस्था के अधीन अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर पद या सदृश धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में या समतुल्य पद में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स और संचार सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर साइंस या फैशन डिजाइनिंग में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री; (ii) न्यूनतम दो वर्ष के प्रशासनिक अनुभव सहित उपरोक्त (ख) (i) में उल्लिखित योग्यता प्राप्त करने के बाद तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान या संस्था में प्रशिक्षण की योजना या आयोजन या क्रियान्वयन के कार्यों से संबद्ध दस वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3. महानिदेशक अथवा संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य; 4. उप महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय- सदस्य।	

[फा. सं. डीजीटी-ए-12018/01/2005-प्रशा.II (भाग)]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2019

G.S.R. 784(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director of Training in the workmen's unit as fixed by the Central Government under Women Training, Directorate General of Training, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1)These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Director of Training, Group 'A', Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director of Training.	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level - 13	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:- Joint Director of Training in Level-12 with five years of regular service in the grade and having successfully completed training of four weeks duration in the area of Administration or Finance or Managerial skills or Planning and policy formation, from any Government or Government recognized training institute. **By deputation (Including short term contract basis):-** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or PSUs or Recognized research institution or University or statutory or autonomous organization: (A) (i)Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service in the post Level-12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the educational qualification and experience as under:- (i) A degree in Engineering or Technology in Electronics and Communication or Information Technology or Computer Science or Fashion Designing from a recognized University or Institute; (ii) Ten years experience relating to planning or organizing or implementation of training in Technical or Vocational Training Institute or Organization after acquiring qualification mentioned at (B)(i) above including at least two years administrative experience. **Desirable:** (i) Master of Business Administration from a recognized University or Institute. **Note I** : The period of deputation including the period of deputation in	**Departmental Promotion Committee consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Secretary or Additional Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member; 3. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member; 4. Deputy Director General, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while selecting an officer for appointment on deputation (Including short term contract).

another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2** : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DGT-A-12018/01/2005-Adm.-II(Pt.)]

RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.10.22 22:24:51 +05'30'